न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पुष्कर (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी – श्री सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या – 15/2020

दायर दिनांक – 11.08.2020

प्रशासन गाँवो के संग अभियान–2021

निर्णय दिनांक – 02.10.2021

जीसीएमएस नं0 – 2020/00047

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थी
1. श्री काना पुत्र छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवनगर–बागोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर। 2. श्री बन्ना पुत्र श्री छोगा जाति गुर्जर निवासी ग्राम देवनगर–बागोलाई तहसील पुष्कर जिला अजमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, पुष्कर जिला अजमेर।

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति– 1.श्री एस. के. चौधरी, अधि0, प्रार्थीगण
2.पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:50 IST
Reason: SelfAttested

:: निर्णय ::

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के आधार खसरा नम्बरान 2410 रकबा 0.2000 है0,

उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

2422/2740 रकबा 0.4300 है0 के सहखातेदार काना पुत्र छोगा व बन्ना पुत्र छोगा की जाति रावत (अशुद्धि) की दुरूस्ती कर तरमीम किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार पुष्कर से प्रकरण की जाँच कर तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी संख्या 01 (तहसीलदार), पुष्कर द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना–पत्र पेश किया गया।

इस संबंध में पैरोकार सरकार/तहसीलदार द्वारा पत्र क्रमांक/तह.पु./राजस्व/2020/1402 दिनांक 21.12.2020 न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया है कि **"ग्राम देवनगर के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी वर्किंग खाता 370 में वर्किंग खसरा नंबर 1824 क्षेत्रफल 03–18–10 बीघा पर नामा0 सं0 157 स्वीकृत दिनांक 09.09.1997 बेचान से विक्रेता मु0सायी बेवा घासीराम व देवाराम पुत्र घीसाराम नाबालिग बसरबराई संरक्षक माता खुद मु0सायरी बेवा घीसाराम व किशना पुत्र काना जाति गूजर सा. देह हाल मु0 किशनगढ़ शेष इन्द्राज बदस्तूर के स्थान पर काना व बन्ना पि. छोगा जाति गुजर सा. बागोलाई देवनगर का नामान्तरकरण हुआ तथा जमाबंदी में अमल दरामद हुआ।**

भू–प्रबंध संक्रिया पूर्ण होने पर प्राप्त राजस्व रिकॉर्ड मिसल बन्दोबस्त एवं आधार जमाबंदी संवत् 2065–84 के खाता नं0 42 में वर्किंग खसरा नं0 1824 के हाल खसरा नंबर 2410 क्षेत्रफल 0.20 है0, 2422/2740 क्षेत्रफल 0.43 है0 पर काना व बन्ना पि. छोगा, काना पुत्र लादू कौम रावत प्रेम देवी पत्नी काना कौम रावत व गलकू बेवा काना कौम गूजर सा. देह खातेदार बन्ना पि. छोगा राहिन पंजाब नेशनल बैंक पुष्कर मूर्तहिन दर्ज है। इस इन्द्राज में काना व बन्ना पि. छोगा की जाति रावत की अशुद्धि दर्ज है। इस आधार जमाबंदी के पश्चात्वर्ती रोटेशन जमाबंदी संवत् 2069–72 के हाल खाता सं0 69 में भी उपरोक्त अशुद्ध इन्द्राज निरन्तर दर्ज है। इसके पश्चातवर्ती सेग्रीगेशन हाल जमाबंदी के हाल जमाबंदी के खाता सं0 69 में हाल खसरा नंबर 2410 व 2422/2740 पर काना पुत्र छोगा हि0 1/10 जाति रावत सा0 देह तथा बन्ना पुत्र छोगा हि0 1/10 जाति रावत सा. देह खातेदार में भी जाति रावत अशुद्ध इन्द्राज के स्थान पर गूजर की शुद्धि किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:50 IST
Reason: SelfAttested

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि राजस्व ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के आधार

02.10.21
उपखण्ड अधिकारी
पुष्कर

खसरा नम्बरान 2410 रकबा 0.2000 है0, 2422/2740 रकबा 0.4300 है0 के सहखातेदार काना पुत्र छोगा व बन्ना पुत्र छोगा की जाति रावत (अशुद्धि) त्रुटिपूर्ण दर्शाया जाकर दर्ज किया गया, जिसकी शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पुष्कर (अजमेर)

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार पुष्कर को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ग्राम देवनगर तहसील पुष्कर जिला अजमेर अवस्थित आराजी कृषि भूमि के आधार खसरा नम्बरान 2410 रकबा 0.2000 है0, 2422/2740 रकबा 0.4300 है0 के सहखातेदार काना पुत्र छोगा व बन्ना पुत्र छोगा की जाति त्रुटिपूर्ण रूप से रावत दर्शायी गई है, जिसके स्थान पर काना पुत्र छोगा जाति गुर्जर व बन्ना पुत्र छोगा जाति गुर्जर (अन्य राजस्व रिकॉर्ड यथावत्) दर्ज/तरमीम किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.10.2021 को मेरे द्वारा सरे—इजलास सुनाया गया।

02.10.21

सुखाराम पिण्डेल
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2021.10.21 14:18:50 IST
Reason: SelfAttested